AMAR UJALA, Delhi, 11.6.2024
Page No. 13, Size:(5.28)cms X (6.55)cms.

एनएचआरसी की फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) एवं माईजीओवी के सहयोग से फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉम्पिटिशन के लिए भारतीय नागरिक आवेदन के पात्र हैं। यह कॉम्पिटिशन बाल श्रम, बेसहारा बुजुर्गों की चुनौतियां, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय खतरे, लैंगिक समानता का जश्न, अधिकार और चुनौतियां, महिलाओं का अधिकार, चुनौतियां और राष्ट्र के विकास में उनका योगदान आदि विषयों पर आधारित है। इस कॉम्पिटिशन के तहत 14 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए फोटो का साइज 3600X5400 पिक्सल होना चाहिए। कॉम्पिटिशन के तहत चयनित प्रथम विजेता को 15,000 रुपये, द्वितीय विजेता को 10,000 रुपये और तृतीय विजेता को 5,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सात विजेताओं को 2,000 रुपये का सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक लिंक www.mygov.in पर जाकर 07 जुलाई, 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

भारत सरकार की पहल

S’nagar DM gets 3 NHRC summons

https://timesofindia.indiatimes.com/city/vadodara/surendranagar-district-collector-receives-3-nhrc-summons/articleshow/110887351.cms

Vadodara: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued three summons to the Surendranagar district collector in the last 10 days based on three complaints filed by Vadodara-based Peoples Training and Research Centre (PTRC), an NGO that works on occupational health.

PTRC filed the complaints with the NHRC stating that families of 81 workers who had either died due to silicosis or contracted silicosis have not been paid compensation. The workers who succumbed to silicosis were employed with ceramic industries in Thangadh and sculpture making units in Dhrangadhara, in Surendranagar district.

“We had filed three complaints including two in 2020 and one in 2022. It was because the artisans or the workers who had succumbed or were suffering due to silicosis were not paid compensation. Based on these complaints, NHRC had asked the Surendranagar district collector to furnish reports. But since the district collector failed to submit a satisfactory reply, the NHRC on May 28, June 6 and June 7 issued conditional summons asking the collector to remain present in person or submit the report before the due dates,” said PTRC’s director Jagdish Patel.

The first complaint in 2020 was in connection to financial assistance to families of 12 deceased (eight from Thangadh and four from Dhrangadhara) and 25 silicosis patients. The NHRC on June 7 directed the collector to submit a reply by July 17 or appear before it on July 19.

In connection to the complaint filed in 2022 regarding financial assistance to families of 12 victims and 31 silicosis patients, the commission has been seeking a reply from the collector for the last two years. Of the 12 deceased six were from Thangadh, four from Dhrangadhara and one each from Wadhwan and Piyava village (Chotila taluka).

On May 28, the NHRC ordered a conditional summons to the collector to appear in person on July 5 if a proper response is not submitted before it by June 28.

Similarly, Ranjanben, widow of Ramesh Mohan Kinhala, a resident of Thangadh, had filed a complaint in 2020 seeking financial assistance. The collectorate submitted its report stating that the compensation has been paid to late Ramesh Harkha Dabhi from Thangadh.

“The complainant has clarified that although her husband’s name is Ramesh, she has not received the compensation.

On June 6, the commission discussed the matter and sought a report by July 12 failing which the collector has been asked to appear in person on July 19,” said Patel.

INDIAN EXPRESS, Online, 11.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

UPSC Current Affairs Pointers of the past week | June 3 to June 9, 2024

https://indianexpress.com/article/upsc-current-affairs/upsc-essentials/upsc-prelims-2024-current-affairs-pointers-june-3-to-9-elections-result-9382734/

— National Human Rights Commission (NHRC)

The NHRC of India was established on October 12, 1993, under the Protection of Human Rights Act (PHRA), 1993, which was later amended by the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2006.

The NHRC is a multi-member body comprising a chairperson and five members.

Following the retirement of former Supreme Court judge Arun Mishra, who served as the chairperson of the NHRC for three years, the President has appointed Vijaya Bharathi Sayani as the acting chairperson.

TIMES OF INDIA, Ahmedabad, 11.6.2024
Page No. 5, Size:(14.68)cms X (10.69)cms.

S'nagar DM gets three NHRC summons

Prashant.Rupera
@timesgroup.com

Vadodara: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued three summons to the Surendranagar district collector in the last 10 days based on three complaints filed by Vadodara-based Peoples Training and Research Centre (PTRC), an NGO that works on occupational health.

PTRC filed the complaints with the NHRC stating that families of 81 workers who had either died due to silicosis or contracted silicosis have not been paid compensation. The workers who succumbed to silicosis were employed with ceramic industries in Thangadh and sculpture making units in Dhrangadhara, in Surendranagar district.

"We had filed three complaints including two in 2020 and one in 2022. It was because the artisans or the workers who had succumbed or were suffering due to silicosis were not paid compensation. Based on these complaints, NHRC had asked the Surendranagar district collector to furnish reports. But since the district collector failed to submit a satisfactory reply, the NHRC on May 28, June 6 and June 7 issued conditional summons asking the collector to remain present in person or submit the report before the due dates," said PTRC's director Jagdish Patel.

TOI

COMPENSATION FOR SILICOSIS VICTIMS

The first complaint in 2020 was in connection to financial assistance to families of 12 deceased (eight from Thangadh and four from Dhrangadhara) and 25 silicosis patients. The NHRC on June 7 directed the collector to submit a reply by July 17 or appear before it on July 19.

In connection to the complaint filed in 2022 regarding financial assistance to families of 12 victims and 31 silicosis patients, the commission has been seeking a reply from the collector for the last two years. Of the 12 deceased six were from Thangadh, four from Dhrangadhara and one each from Wadhwan and Piyava village (Chotila taluka).

On May 28, the NHRC ordered a conditional summons to the collector to appear in person on July 5 if a proper response is not submitted before it by June 28.

Similarly, Ranjanben, widow of Ramesh Mohan Kinhala, a resident of Thangadh, had filed a complaint in 2020 seeking financial assistance. The collectorate submitted its report stating that the compensation has been paid to late Ramesh Harkha Dabhi from Thangadh.

"The complainant has clarified that although her husband's name is Ramesh, she has not received the compensation. On June 6, the commission discussed the matter and sought a report by July 12 failing which the collector has been asked to appear in person on July 19," said Patel.

NHRC notice to Odisha chief secy on farmer's electrocution

https://www.thestatesman.com/india/nhrc-notice-to-odisha-chief-secy-on-farmers-electrocution-1503308606.html

The top rights panel passed the order taking cognizance of a petition filed by human rights lawyer Radhakanta Tripathy.

The National Human Rights Commission has issued a show cause notice to the Odisha chief secretary seeking a compliance report as to why the panel should not recommend Rs 5 lakh compensation to legal heirs of a farmer electrocuted last year.

The top rights panel passed the order taking cognizance of a petition filed by human rights lawyer Radhakanta Tripathy.

Ashwini Jena (65), a small and marginal farmer while engaged in agricultural activities, was electrocuted on 23 October, 2023 by a live snapped electric wire at Talagopbindha village in Bhadrak district

According to the post mortem report, the cause of death of the deceased was due to cardiac arrest and ventricular fibrillation resulting from electric current injuries.

The power discom officials are responsible for the occurrence as they have failed to maintain the safety measures. The reports submitted by the TPNODL (discom) and other authorities regarding refusal of compensation by showing the negligence of the deceased does not seem to be justified.

The human rights body sought for the replies within four weeks. If no response is received in this period, it shall be presumed that the Government of Odisha has nothing to urge in the matter and the Commission will proceed further as deemed appropriate, the order added.

MSN, Online, 11.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

सदर अस्पताल में चिकित्सकों की कमी, मरीजों को नहीं मिल रही बेहतर सेवा

https://www.msn.com/hi-in/news/jharkhand/%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%9A-%E0%A4%95-%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%95-%E0%A4%82-%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A4%AE-%E0%A4%AE%E0%A4%B0-%E0%A4%9C-%E0%A4%82-%E0%A4%95-%E0%A4%A8%E0%A4%B9-%E0%A4%82-%E0%A4%AE-%E0%A4%B2-%E0%A4%B0%E0%A4%B9-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5/ar-BB1nX2Uo

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने निरीक्षण में पाया है कि चिकित्सकों की कमी के कारण सदर अस्पताल में रोगियों को बेहतर सेवा नहीं मिल पा रही है। यह बात आयोग की रिपोर्ट में है। 7 जून को मानवाधिकार आयोग की टीम ने पूर्व आईएएस सुचित्रा सिन्हा के नेतृत्व में सदर असपताल का निरीक्षण किया था, जिसकी रिपोर्ट सौंपी गई है।

इसमें लिखा है कि बेहतर चिकित्सा सुवधिा उपलब्ध करने के लिए यह पाया गया कि अस्पताल में विषेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। जैसे जनरल सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन, गायनोलॉजिस्ट, फिजीशियन। इन चिकित्सकों का पदस्थापन नहीं होने के कारण रोगियों को बेहतर सेवा से बचित होना पड़ रहा है। वर्तमान में अस्पताल में दो ऑपरेशन थिएटर हैं। बेहतर गुणवतापूर्ण सेवा के लिए मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर की आवश्यकता है।

सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के निर्देश पर मॉड्यूलर ओटी की मांग की गई है। सदर अस्पताल में जगह की कमी एवं विभाग से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण कुपोषण उपचार केन्द्र का संचालन नहीं हो रहा है। सदर अस्पताल में कुछ उपकरणों की कमी है, जिसके कारण मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। अल्ट्रा साउंड मशीन वर्तमान में हेल्थ मैप की आरे से एमओयू के तहत संचालित है। सदर असपताल के पास अपना अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। डिजिटल एक्सरे मशीन सदर अस्पताल में उपलब्ध है। सदर में 300 एमए डिजिटल एक्सरे मशीन पिछले 10 सालों से है। यहां जरूरत है कि एक नयी मशीन हो। सीटी स्कैन मशीन और एमआरआई मशीन की आवश्यकता है। चार डायलिसिस मशीन वर्तमान में हैं। मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण तीन अन्य मशीन की आवश्यकता है। अस्पताल में ब्लड बैंक है, लेकिन ब्लड सेपरेशन यूनिट नहीं है। अस्पताल के पीछे 100 बेड का प्री-फेब्रिकेटेड अस्पताल भवन निर्माणाधीन है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सदर अस्पताल में तकनीकि कमियों को दूर करने से यहां बेहतर इलाज हो सकता है।

NHRC Issues Show Cause Notice to Odisha Govt Over Farmer's Electrocution Death

https://odishabhaskar.in/odisha/nhrc-odisha-farmer-electrocution-compensation-83044/

Bhubaneswar: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a show cause notice to the Chief Secretary of Odisha, demanding a compliance report regarding the death of Ashwini Jena, a 65-year-old farmer who was electrocuted by a live wire in Bhadrak district on October 23, 2023. The NHRC is questioning why a compensation of Rs 5 lakh should not be recommended for Jena's legal heirs.

The notice follows a petition by human rights lawyer Radhakanta Tripathy. Jena, a small-scale farmer, died from cardiac arrest and ventricular fibrillation caused by electric current injuries, as confirmed by the post-mortem report.

The incident was attributed to the negligence of power discom officials who failed to maintain proper safety measures. Reports from TPNODL (the power discom) and other authorities claimed the deceased's negligence as the reason for denying compensation, a justification the NHRC found unconvincing.

The NHRC has given the Odisha government four weeks to respond. If no reply is received, the Commission will proceed with appropriate actions, assuming the government has no objections.

JAN CHOWK, Online, 11.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

सुनीता पोटाम गिरफ्तार, बस्तर के आदिवासियों के अधिकारों की बात की तो जाना होगा जेल

https://janchowk.com/pahlapanna/sunita-potam-arrested-will-be-sent-to-jail-for-talking-about-the-rights-of-tribals-of-bastar/

बस्तर। बस्तर के आदिवासियों के अधिकारों का हनन होने पर आवाज़ उठाने वालों को जेल भेजा जायेगा-ऐसा क्यों? आदिवासियों का अधिकार उनके जल, जंगल और जमीन से जुड़ा है, परन्तु जंगल के पेड़ों की कटाई को रोकना, या प्राकृतिक नदियों के प्रदूषित होने की बात रखना या अपने ही पूर्वजों की ज़मीन से बेदख़ल होने के विरुद्ध आवाज़ उठाने पर उन्हें विकास विरोधी बताया जायेगा। और इन "विकास परियोजनाओं" को लागू करने के पुलिस बल का क्रूर इस्तेमाल होने पर उसके खिलाफ आवाज़ उठाया जायेगा तो उनको माओवादी समर्थक या माओवादी घोषित कर गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

इसका उदाहरण सुनीता पोटाम हैं। उनकी गिरफ़्तारी से साफ़ झलक रहा है कि आदिवासियों के हक और अधिकारों की बात करने वाला शासन-प्रशासन की नजर में अपराधी है। बीजापुर जिले के गांव कोरचोली की रहने वाली 25 वर्षीय आदिवासी कार्यकर्ता और मानव अधिकार संरक्षक-सुनीता पोटाम को सोमवार सुबह 8.30 बजे बीजापुर डीएसपी गरिमा दादर की अगुवाई में बीजापुर ज़िला पुलिस का दस्ता, जो कि वर्दी में नहीं थे, उनको रायपुर के अस्थायी निवास से घसीटते हुए ले गए।

सुनीता रायपुर में अपनी 10वीं कक्षा ओपन स्कूल में भरती के लिए आई थी। वे यहां महिला मण्डल के साथियों के साथ रह कर प्रवेश परीक्षा की तयारी भी कर रही थी। ऐसे में उन्हें उनके निवास से उठा लिया गया। सबसे संदेहास्पद बात तो यह है कि इस को अंजाम देने के लिए अन्य दो साथियों को एक कमरे के अंदर धकेल कर उन्हें बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया गया और मकान मालकिन को दरवाजा खोलने से मना करते हुए पोटाम को बिना नम्बर वाली गाड़ी में ले गए।

सुनीता जब नहा कर घर से बहार निकली ही थी, पुलिस ने उसे दोनों तरफ से पकड़ कर जबरन ले जाने की कोशिश करने लगी। मासिक के चलते सेनेटरी पैड और कपड़े बदलने का भी मौका न देकर डीएसपी गरिमा ने उसे दो थप्पड़ मार कर घसीटते हुए उसे बिना रजिस्टर की गाड़ी में घुसा के ले गईं। सुनीता ने ये बात कांकेर और बिलासपुर के वकीलों को बताया। पकड़ने के आधे घंटे के भीतर डीएसपी गरिमा लौटीं और पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (PUCL) सदस्य श्रेया खेमानी, जिनके साथ वो रायपुर में रुकी थीं, उनको वारंट की कॉपी बताया परन्तु कापी देने से मना करके बीजापुर के लिए रवाना हो गए।

देर शाम पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी कर सुनीता पोटाम को 'बीजापुर के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, आगजनी जैसे गंभीर मामलों में लिप्त बताया है जिनमें से 11 में स्थायी वारंट जारी" बताया है' और 'माओवादियों में शहरी नेटवर्क की महत्वपूर्ण कड़ी बताया है'। तीन दिन बीत चुके हैं पर अभी तक इनके खिलाफ एफ़आईआर में IPC की कौन सी धारा लगाई गयी है इसका खुलासा नहीं हो पाया है।

कौन है सुनीता पोटाम ?

बीजापुर जिले से 55 किमी दूर कोर्चोली नाम का एक गांव है जो गंगालूर क्षेत्र में आता है। सुनीता पोटाम उसी गांव की एक खेत-मजदूर दम्पति आयतु पोटाम और मंगली पोटाम के सात बच्चों-पांच बहनों और दो भाइयों- में से एक है। सुनीता पोटाम को मैं 2018 में उसी के गांव में मिली थी जब एक घटना के सम्बन्ध में रिपोर्टिंग के लिए गई थी। उससे बात करते समय ये कतई महसूस नहीं होता कि वो कम पढ़ी लिखी महिला है।

“पढ़ने का मुझे बहुत शौक है दीदी, पर सलवा जुडूम के चलते स्कूल बंद हो गया और बढ़ती हिंसा के डर से हमें गांव छोड़ कर घने जंगलों में बीच रहन पड़ा”, सुनीता ने एक लम्बी सांस लेते हुए बताया जब मैंने स्कूल न जाने की वजह पूछा। गांव में उसके इर्द-गिर्द कई महिलायें और युवकों को देखकर लगता था कि वो लोकप्रिय थी। क्यूं न हो। ठीक दो साल पहले, 2016 में 19 वर्ष की छोटी उम्र में उसी के गांव की 18 वर्षीय मुन्नी के साथ सुनीता पोटाम ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र के कड़ेनार, पालनर, कोरचोली, और अंडरी गांवों में हुई 6 व्यक्तियों की न्यायेतर हत्याओं (extra judicial killings) के खिलाफ याचिका दायर की थी। (Suneeta Pottam & Others Vs State of Chhattisgarh and Others WP(PIL)82/2016)

पुलिस की धमकियां और न्याय के उम्मीद के बीच

हाई कोर्ट में केस के दाखिल होने के बाद, सुनीता और गांव के लोगों में स्थानीय पुलिस के दबाव के बावजूद न्याय की उम्मीद जगी। इसके चलते सुनीता पोटाम एवं मुन्नी पोटाम को पुलिस की तरफ से धमकियां मिलने लगीं, जिसे वकीलों ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के संज्ञान में अक्टूबर 2016 को किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के हस्तक्षेप के बाद तत्काल बीजापुर पुलिस अधीक्षक के उनके सुरक्षा के आश्वासन के बाद केस को समाप्त किया गया।

प्रगतिशील महिला संगठन एवं मानव अधिकार संस्थान के सदस्यों का सहयोग मिलने पर सुनीता और गांव वालों की हिम्मत बढ़ी। 2015 अक्टूबर 19-24 में पेग्डापल्ली, चिन्नागेलुर, पेद्दगेलुर, गुन्डम और बुर्गिचेरू के गांव में, फिर जनवरी 2016 में बीजापुर के बल्लम नेन्द्र और सुकमा जिले के कुन्ना गांव के महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा बलात्कार, यौन शोषण जैसे मामले धीरे-धीरे बाहर निकलने लगी, जिसका संज्ञान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने अपने स्वतंत्र जांच में सही पाने के बाद उन महिलाओं को 37 लाख रुपयों का मुआवजा देने का आदेश दिया। इन सभी मुद्दों को सामने लाने में सुनीता पोटाम की सक्रिय भूमिका रही है।

विडम्बना ये थी कि संविधान के दायरे में इस तरह के कदम को प्रशासन सुनीता और सुनीता जैसे अन्य ग्रामीणों को माओवादी घोषित करते हुए कई केस दाखिल करने लगे। यह बात महिला संगठन, वीमेन अगेंस्ट सेक्सुअल एक्स्पलायटेशन एंड स्टेट रिप्रेशन (WSS), द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के संज्ञान में भी लायी गयी है (Diary No।1050/IN/2021) ।

छत्तीसगढ़ सरकार को आदिवासियों के प्रति जवाबदेह ठहराने में अगुवाई

क्षेत्रीय स्तर पर वे कई प्रतिरोधों की अगुवाई करती रही हैं, जैसे, PESA अधिनियम का उल्लंघन करते हुए और बिना ग्राम सभा बिठाए सड़कों का गांवों के बीचों-बीच से चौड़ीकरण करना एवं ग्रामीणों के कई लाभदायक पेड़ों का काटा जाना। बस्तर में पुलिस एवं शासन-प्रशासन का स्थानीय आदिवासियों, खास कर वे गांव जिन्हें शासन ने ‘माओवादग्रस्त” घोषित किया है, के प्रति हिंसक व्यवहार के विरूद्ध युवा पीढ़ियों की अगुवाई में जन आन्दोलन बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती ग्राम सिल्गेर से शुरू हुआ, जोकि मई 2021 को पुलिस कैंप के शांतिपूर्वक विरोध में पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग में तीन ग्रामीणों की मौत हुई।

सुनीता पोटाम और उनके जैसे अन्य आदिवासी युवा नेता मौजूदा सरकार को बस्तर के आदिवासियों के वास्तविक विकास न करने के लिए जवाबदेह ठहराया। असल विकास के लिए स्कूल, अस्पताल, वन-आधारित जीवनोपार्जन के विकल्प आदि की व्यवस्था का दबाव बनाया गया, बजाए कि निजी कंपनियों को खनन की लीज़ देकर विकास की अपेक्षा करना जिनकी रुचि केवल उनके घने वन के नीचे दबे खनिज संपदा में है। इन मुद्दों को लेकर आन्दोलन-जो मूलवासी बचाओ मंच के बैनर तले हो रहा था-की सुनीता पोटाम सहित अन्य सक्रिय युवा नेता मौजूदा कांग्रेस के

बस्तर संभाग में अन्य विधायकों से मई 2021 में और मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल से अगस्त 2021 के बीच बातचीत भी हुई।

इसके अलावा, गंभीर मुद्दे, जैसे नक्सल ऑपरेशन के नाम पर ग्रामीणों को नक्सल घोषित कर गिरफ्तार करना, या 'फर्जी मुठभेड़ में मार गिराना', माओवादी घोषित करके उन्हें जबरन सरेंडर करवाना, इस सब बातों को भी साझा करती थी, साथ ही सरका को इस बात की भी चुनौती देती कि उन्हीं नक्सालियों को सरेंडर करा कर अपने फोर्स में जोड़ कर उनसे ग्रामीणों को प्रताड़ित करवाती है। एडेस्मेता एवं सार्केगुदा कांड, जिसे स्वतंत्र न्यायिक जांच ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कई ग्रामीण आन्दोलन पर उतर आये, कांग्रेस सरकार का 2018 के चुनाव के पहले वादा जिसमें जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों को रिहा करने का वादा, इत्यादि पर सवाल उठाते थे।

इन सब सवालों पर फिर से चुप्पी साधने पर, मुलवासी बचाओ मंच के युवा नेता जनवरी 2022 को मौजूदा छत्तीसगढ़ राज्यपाल अनुसूया उइके से मिलने के लिया रवाना हुए, परन्तु उन्हें पुलिस ने कोविड का हवाला देते हुए बीजापुर से निकले साथियों को कोंडागांव में रोककर, कोविड हॉस्पिटल में दाखिल कर घर को रवाना किया। उन युवाओं में सुनीता पोटाम भी मौजूद थी।

बीजापुर पुलिस के लिए सुनीता पोटाम एक अड़चन

दिसम्बर 2023 में भाजपा की बहुल्य जीत के बाद, आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णु देव साईं के शपथ लेने से पहले ही एंटी-नक्सल ऑपरेशन को बढ़ावा मिला, जिसके चलते कई मुठभेड़ों को संदेहास्पद बताया गया, जैसे बीजापुर जिले के 1 जनवरी को गंगालूर थाना अंतर्गत ग्राम मुत्वेंदी में 6 माह की बच्ची मारी गई, जिसे पुलिस ने क्रॉस-फायरिंग में मारे जाने का दावा किया, 20 अप्रैल को बासागुडा थाना अंतर्गत ग्राम बेल्लम नेन्द्र में 3 कथित माओवादियों का मारा जाना, 30 जनवरी को भैरमगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम बोडगा एक ग्रामीण जिसे पुलिस ने बाद में क्रॉस-फायरिंग में मारा जाना बताया, 27 मार्च को तेलंगाना-छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती ग्राम चिपुरभट्टी, बीजापुर जिला में मारे गए 6 कथित माओवादी, 2 अप्रैल को ग्राम कोर्चोली-नेन्द्र में मारे गए 13 कथित माओवादी, 10 मई को गंगालूर थाना अंतर्गत ग्राम पीडिया में मारे गए 10 कथित माओवादी, कांकेर जिले के छोटे बेठीया थाना अंतर्गत कोयलीबेडा में मारे गए 3 कथित माओवादी।

सुनीता पोटाम इन मुठभेड़ों के बारे में जानकारी, पत्रकारों को उनके परिजनों से तथ्य की पुष्टि के लिए या मानवाधिकार कार्यकर्ताओं या वकीलों को इनके परिजनों से मिलवाने में मदद करती थी। बतौर मानवाधिकार रक्षक, सुनीता पोटाम बीजापुर पुलिस के रास्ते की अड़चन बनी हुई थी।

गिरफ्तारी का प्रयास

इसी वर्ष 9 फरवरी को बीजापुर के गंगलूर क्षेत्र में एक वारदात के पीड़ितों की अस्पताल में मदद करने के लिए बीजापुर ज़िला अस्पताल आई पोटाम को पुलिस वालों ने मुख्य सड़क पर दौड़ा कर पीछा किया और जबरदस्ती मोटर साइकिल पर बिठाने की कोशिश की। किसी तरह वो दौड़कर एक दुकान पर पहुंची जहां कुछ पत्रकार थे जो उन्हें जानते थे। उन्होंने पुलिस से अरेस्ट वॉरन्ट दिखाने को कहा। पत्रकारों, स्थानीय नेता एवं समाज के लोगों में उनकी लोकप्रियता देख पुलिस पीछे हट गई।

इस घटना को मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता बेला भाटिया और आदिवासी कार्यकर्ता सोनी सोरी एवं मुल्वाई बचाओ मंच के अध्यक्ष रघु मिडियाम एवं अन्य सदस्य द्वारा मूल निवासी बचाओ मंच के सदस्यों को पुलिस द्वारा

धमकियां और प्रताड़ना वाली बात को 17 फ़रवरी को IG बस्तर, पी. सुन्दर राज के संज्ञान में लाया गया और उसी दिन सुनीता पोटाम व युवा आदिवासियों ने जगदलपुर प्रेस क्लब में एक प्रेस सम्मेलन में भी आप-बीती साझा किया।

बीजापुर पुलिस ने सुनीता पोटाम के खिलाफ यह भी आरोप लगाया है कि सुनीता अपनी 'पहचान एवं पता छुपा कर रायपुर में निवासरत थी, माओवादियों के शहरी नेटवर्क (फ्रंटल ऑर्गेनाइज़ेशन) की महत्वपूर्ण कड़ी थी'। इस बात का खंडन करते हुए PUCL की सदस्य श्रेया खेमानी कहती हैं कि सुनीता रायपुर में हमारे बीच रहकर ओपन स्कूल से 10वीं में दाखिला के लिए आई थी। उसने न तो अपना नाम बदला है, और न ही छिपी हुई थी। पिछले तीन सालों से, जब से उनके खिलाफ केस दाखिल किया है और वारंट होने की बात पुलिस बता रही है, तब से सुनीता सार्वजानिक स्थलों में गांव में होने वाले मानव अधिकार का हनन सम्बंधित काम कर रही थी – पुलिस, कलेक्टर, IG, मीडिया से वार्ता, सब कर रही थी, फिर पुलिस यह आक्षेप कैसे लगा सकती है कि सुनीता अपनी पहचान छिपा रही है।

सुनीता पोटाम को उसके बूढ़ी मां और भाई के साथ जगदलपुर जेल में मिलवाने के बाद, आदिवासी नेता सोनी सोरी बोलीं: बस्तर एक बहुत कठिन दौर से गुज़र रहा है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद बस्तर में एक जंग का माहौल खड़ा हो गया है। आये दिन किसी की गिरफ़्तारी या मारे जाने की खबर हमको गांव से मिलती है। सुनीता पोटाम जैसे युवा वर्ग इन हादसों का खुलासा कर रहे थे, इन आवाजों का सुनना ज़रूरी है ताकि दोबारा एडेस्मेटा या सर्केगुडा जैसी शर्मनाक घटना न घटे। मूल निवासी बचाओ मंच, जो आदिवासी युवाओं का एक सक्रिय संगठन है, उसने अपने काम को संविधान के दायरे में ही रखकर काम किया है फिर इन्हें गलत दिखा कर गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं और गिरफ्तारियां बंद होने से ही बस्तर के आम ग्रामीणों का विश्वास हासिल कर सकेगी।